ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 के क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)

वर्धा (महाराष्ट्र)

कार्यवृत्त

विद्या-परिषद् की तेरहवीं बैठक

25 अगस्त, 2009

अपराह्न 3:00

सभा-कक्ष, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

ज्ञान शांति मैत्री

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 के क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)

वर्धा (महाराष्ट्र)

विद्या–परिषद् की तेरहवीं बैठक

सभा–कक्ष, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ, वर्धा

25 अगस्त, 2009 अपराह्न 3:00 बजे

अनुक्रमणिका

मद सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	विद्या-परिषद् की 12 वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।	002
2	विद्या-परिषद् की 12 वीं बैठक के अनुपालन में की गयी कार्रवाई के संदर्भ में।	002
3	सत्र 2009-10 का अकादमिक कैलेण्डर के संदर्भ में।	002
4	एम.ए. बौद्ध अध्ययन पाठ्यक्रम का पाठ्यविवरण का अनुमोदन।	003
5	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित भारतीय एवं विदेशी भाषाओं एवं Master of Informatics & Language Engineering एवं Ph.D. Informatics & Language Engineering पाठ्यक्रम का पाठ्यविवरण का अनुमोदन।	003
6	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के निरस्त किये गए पी-एच.डी. पंजीयन के संदर्भ में।	003
7	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पूर्व निर्धारित आर्हता से कम अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने के संदर्भ में।	004
8	एम.ए. नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारण के संदर्भ में।	005
9	एम.ए./एम.फिल. मानवविज्ञान पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण के संदर्भ में।	005
10	परीक्षा तुल्यता समिति के गठन के संदर्भ में।	005
11	विद्या–परिषद् सदस्य श्री मिथिलेश कुमार से प्राप्त विभिन्न प्रस्ताव।	006
12	भाषा–विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 19/08/2009 में विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन एवं स्थगन के सम्बन्ध में निर्णय।	006
13	विश्वविद्यालय में विडियो कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा के सम्बन्ध में।	007
14	संस्कृति–विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की पाँचवीं बैठक का कार्यवृत्त।	007
15	पी-एच.डी. का अध्यादेश-45/2009 स्वीकृति एवं अनुमोदन के सम्बन्ध में।	007-008
16	सत्र 2009-10 से एम.फिल/पी-एच.डी. मानव विज्ञान प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में।	008
17	विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित शैक्षिक पदों हेतु चयन समिति के लिए विषय विशेषज्ञ का पैनल।	008-009

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)

विद्या-परिषद् की 13वीं बैठक का कार्यवृत्त

महात्मा **गां**धी **अ**न्तरराष्ट्रीय **हि**न्दी **वि**श्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की 13वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में 25 अगस्त, 2009 को अपराह्न 3:00 बजे सभा-कक्ष, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ, विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित थे :

1.	श्री विभूति नारायण राय	:	कुलपति एवं अध्यक्ष
2.	प्रो. नदीम हसनैन	:	प्रतिकुलपति एवं सदस्य
3.	प्रो. अली अहमद फातमी	:	सदस्य
4.	प्रो. तुलसी राम	:	सदस्य
5.	प्रो. आत्मप्रकाश श्रीवास्तव	:	सदस्य
6.	प्रो. उमाशंकर उपाध्याय	:	सदस्य
7.	प्रो. मनोज कुमार	:	सदस्य
8.	प्रो. लेला कारूण्यकरा	:	सदस्य
9.	प्रो. महेन्द्र कुमार सी. पाण्डेय	:	सदस्य
10.	प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल	:	सदस्य
11.	प्रो. अनिल कुमार राय	:	सदस्य
12.	प्रो. अनिल चमड़िया	:	सदस्य
13.	डॉ. हनुमान प्रसाद शुक्ल	:	सदस्य
14.	डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी	:	सदस्य
15.	डॉ. संतोष कुमार भदौरिया	:	सदस्य
16.	डॉ. सी. अन्नपूर्णा	:	सदस्य
17.	डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय	:	सदस्य
18.	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकि	:	सदस्य
19.	श्री राकेश मिश्र	:	सदस्य
20.	श्री आनंद मण्डित मलयज	:	सदस्य
21.	श्री मिथिलेश कुमार	:	सदस्य
22.	सुश्री थोकचोम कमला देवी	:	सदस्य
23.	सुश्री सुप्रिया पाठक	:	विशेष आमंत्रित
24.	डॉ. कैलाश खामरे	:	कुलसचिव एवं पदेन सचिव

अन्य सदस्य - प्रो. सुधीर चंद्रा, प्रो. ए. अरविंदाक्षन तथा डॉ. रामानुज अस्थाना विविध कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

पदेन सचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष से बैठक की कार्रवाई आरंभ करने का अनुरोध किया।

कार्यसूची एवं अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत अन्य विषय के अन्तर्गत सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है :

मद संख्या 1.

विद्या–परिषद् की 12वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की बारहवीं बैठक, ज़िला क्रीड़ा संकुल भवन, जाजूवाड़ी, वर्धा के सभा–कक्ष में 13 फरवरी, 2009 को सम्पन्न हुई थी।

बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि हेतु कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संलग्न है।

अनुलग्नक : विद्या–परिषद् की बारहवीं बैठक का कार्यवृत्त : परिशिष्ट : 1 (10–18)

विद्या–परिषद् ने कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

मद संख्या 2.

विद्या–परिषद् की 12वीं बैठक के अनुपालन में की गयी कार्यवाही

विद्या-परिषद् की 12वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण सूचनार्थ प्रस्तुत है।

विद्या-परिषद् ने मद संख्या 14(2) के अन्तर्गत विद्यार्थियों के संगोष्ठी में जाने तथा आलेख प्रस्तुतिकरण के संबंध में गठित समिति द्वारा संबंधित दिशा-निर्देश के प्रारूप अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। शेष की गयी कार्यवाही से सहमति व्यक्त की गयी।

मद संख्या 3.

अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2009–10

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों की दिनांक 13 / 02 / 2009 को सम्पन्न बैठक में अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2009–10 को अंतिम रूप दिया गया। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

अनुलग्नक: परिशिष्ट – 2 (पृष्ठ सं. : 19)

अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2009-10 को विद्या-परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 4.

<u>एम.ए. बौद्ध अध्ययन / पाली में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण का अनुमोदन</u>

डॉ. भदन्त आनंद कौशल्यायन बौद्ध अध्ययन केन्द्र द्वारा दिनांक 9.07.2009 एवं दिनांक 21 एवं 22 जुलाई, 2009 को उपर्युक्त पाठ्यक्रम हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में एम.ए. बौद्ध अध्ययन/पाली में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गयी है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा विद्या–परिषद् में निर्णयार्थ प्रस्तुत।

अनुलग्नक : परिशिष्ट – 3 : एम.ए. बौद्ध अध्ययन (पृष्ठ सं. : 20–47), पाली पाठ्यक्रम (पृष्ठ सं. : 48–50)

विद्या-परिषद् द्वारा प्रस्तावित पाठ्य विवरण का अनुमोदन किया।

मद संख्या 5.

<u>विश्वविद्यालय द्वारा संचालित भारतीय एवं विदेशी भाषाओं एवं *Master of Informatics & Language Engineering* एवं *Ph.d. Informatics & Language Engineering* पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण का अनुमोदन।</u>

भाषा-विद्यापीठ के अन्तर्गत संचालित एवं प्रस्तावित निम्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं तथा *Master of Informatics & Language Engineering, Computational Linguistics* एवं *Ph.D. Informatics & Language Engineering* पाठ्यक्रम का पाठ्यविवरण विद्यापरिषद् में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

1) एम.ए. (तमिल, मराठी, चीनी, स्पेनिश, Informatics & Language Engineering, Computational Linguistics)
2) सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं एडवांस डिप्लोमा (चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच)
3) Ph.D. Informatics & Language Engineering

अनुलग्नक : परिशिष्ट – 4 (पृष्ठ सं. : 51)

विद्या-परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 6.

<u>विश्वविद्यालय में गैर–शैक्षणिक एवं शैक्षणिक पदों पर कार्यरत् कर्मियों के पी–एच.डी. निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में</u>

विश्वविद्यालय में गैर-शैक्षणिक एवं शैक्षणिक पदों पर कार्यरत् कर्मियों को पूर्व कुलपति के कार्यकाल में विशेष-स्थिति में पी-एच.डी. में प्रवेश दिया गया था जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र क्रमांक मिसिल संख्याः 15-8/2007 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) दिनांक 27 फरवरी, 2009 को देखते हुए कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 24/04/2009 के

संकायाध्यक्ष, भाषा–विद्यापीठ ने पत्रांक: 19/2009–10/विद्या.प./75(34)/09 दिनांक 30.07.09 के माध्यम से तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (उर्दू, तमिल एवं मराठी) को विद्या–परिषद् की तेरहवीं बैठक में रखने का अनुरोध किया था जिसे पत्रांक: 19/जा.पत्र/128(6)/09 दिनांक 20/08/2009 के माध्यम से उन्होंने स्थगित रखने हेतु अनुरोध किया है।

विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिशिष्ट 16 (पृष्ठ संख्या 204)

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम (उर्दू, तमिल एवं मराठी) में प्रवेश हेतु विवरणिका के आधार पर आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, विद्या-परिषद् ने पूर्व प्रस्तावित पाठ्य विवरण के परिप्रेक्ष्य में इस सत्र से इन पाठ्यक्रमों के साथ-साथ उपर्युक्त अन्य पाठ्यक्रमों में स्कूल बोर्ड से अनुशंसित सभी पाठ्यक्रमों को आरंभ करने का अनुमोदन किया।

मद संख्या 13.

विश्वविद्यालय में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा के सम्बन्ध में

विद्या-परिषद् की 12वीं बैठक (मद संख्या 04 (6) में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्वानों व शिक्षकों से सम्पर्क व वार्ता के लिये वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है, जिसे देखते हुए प्रभारी, लीला विभाग ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव **परिशिष्ट 17 (पृष्ठ संख्या 205-210)** पर विद्या-परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत।

प्रस्ताव का अवलोकन कर सैद्धांतिक तौर पर उसे स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या 14.

संस्कृति–विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की पाँचवीं बैठक का कार्यवृत्त

संस्कृति–विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की पाँचवीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

परिशिष्ट 18 (पृष्ठ सं. 211–327)

सचिव द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में जहाँ-2 पर डिप्लोमा इन फोरेंसिक साईंस शब्द लिखा गया है उसे *P.G. Diploma in Forensic Science* पढ़ा जाय।

कार्यवृत्त को स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या 15.

पी-एच.डी. का अध्यादेश-45/2009 स्वीकृति एवं अनुमोदन के सम्बन्ध में

विद्या-परिषद् की ***12वीं बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2009 (मद संख्या-6)*** एवं कार्य-परिषद् की 36वीं बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2009 में लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया पी-एच. डी. का अध्यादेश-45 लागू किया गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त नए दिशा-निर्देशों के देखते हुए कुलपति महोदय द्वारा प्रति-कुलपति की अध्यक्षता में गठित समिति ने अध्यादेश क्रमांक 45/2009 बनाया है। अतः यदि अनुमति हो तो इस अध्यादेश-45/2009 को विद्या-परिषद् की बैठक में अध्यक्ष की अनुमति के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

अनुलग्नक : पृष्ठ सं. 328-333 विद्या-परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत।

विद्या-परिषद् ने प्रस्तुत अध्यादेश-45 के प्रस्तावित प्रारूप को निम्नांकित संशोधन के साथ अनुमोदन किया :

1. **विभागीय शोध समिति का अध्यक्ष संकायाध्यक्ष के स्थान पर उस विभाग का विभागाध्यक्ष होगा और शोध प्रबंध प्रस्तुति पूर्व सेमिनार और मौखिकी संकायाध्यक्ष के स्थान पर विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी।**
2. **जूनियर रिसर्च फेलोशिप और नेट उत्तीर्ण तथा एम.फिल. उपाधिधारक अभ्यर्थियों को पी-एच.डी. प्रवेश की लिखित परीक्षा में 5 % अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।**
3. **बिन्दु-11 के तहत परीक्षकों का पैनल शोध निदेशक, उस विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से विभागीय शोध समिति (डी.आर.सी.) के समक्ष प्रस्तुत करेगा।**
4. **बिन्दु-13.3 के तहत मौखिकी विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में किए जाने के साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त अध्यादेश के संदर्भ में विद्या-परिषद् के किसी भी सदस्य का यदि कोई सुझाव हो तो वह प्रतिकुलपति के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करे ताकि उसे सम्मिलित करते हुए उक्त अध्यादेश को अंतिम रूप दिया जा सके।**

मद संख्या 16.

सत्र 2009-10 से एम.फिल/पी-एच.डी. मानव विज्ञान प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में

सत्र 2009-10 से मानव विज्ञान विभाग के अन्तर्गत एम.फिल/पी-एच.डी. (मानव विज्ञान) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना है। अतः विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमति हेतु तथा कार्य-परिषद् के को सिफारिश करने हेतु प्रस्तुत।

विद्या-परिषद् ने उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की।

(अध्यक्ष की अनुमति से अतिरिक्त विषय)

मद संख्या 17.

विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित शैक्षिक पदों हेतु चयन समिति के लिए विषय विशेषज्ञ का पैनल

विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या एम.जी.ए.एच.वी./07/2009 के माध्यम से विभिन्न विद्यापीठों यथा भाषा विद्यापीठ, साहित्य विद्यापीठ, संस्कृति विद्यापीठ व अनुवाद विद्यापीठ तथा दूर शिक्षा कार्यक्रम में रिक्त शैक्षिक पदों यथा प्रोफेसर, रीडर (ऐसासिएट प्रोफेसर) व लैक्चरर (असिस्टेंट प्रोफेसर) को भरने हेतु विज्ञापनं प्रसारित किया गया है। विश्वविद्यालय के परिनियम-19(2) के प्रावधान के तहत उक्त शैक्षिक पदों को भरने हेतु इस चयन समिति में विद्या-परिषद् द्वारा अनुशंसित विषय विशेषज्ञों के पैनल से कार्य-परिषद् द्वारा नामित किए जाते हैं।

अतः उपर्युक्त चारों विद्यापीठ तथा दूर शिक्षा कार्यक्रम में रिक्त शैक्षिक पदों हेतु विषय विशेषज्ञों का पैनल बनाए जाने के लिए विद्या-परिषद् कृपया योग्य नाम अनुशंसित करे।

बैठक में इस संदर्भ में विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त चारों विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष अपने-अपने विद्यापीठ से योग्य 10-10 विशेषज्ञों के नाम कुलपति के समक्ष लिखित में प्रस्तावित करेंगे एवं आगे की कार्रवाई के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

बैठक की समाप्ति सभी सदस्यों द्वारा कुलपति/अध्यक्ष को धन्यवाद देने तथा अध्यक्ष एवं पदेन सचिव द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता–ज्ञापन करने से हुई।

(डॉ. कैलाश खामरे)
कुलसचिव एवं पदेन सचिव, विद्या–परिषद्
महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा